10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES
3 COURT FEE तीन THREE
2 COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 198 पुनरीक्षण

R 2159-पांच/98

रामगोपाल पुत्र बजरंगा हरिजन
निवासी ग्राम गल्मान्या तहसील श्योपुरकलां
जिला मुरैना -------- आवेदक

विरुद्ध

1- सत्य नारायण पुत्र गंगाराम धाकड़
निवासी ग्राम गल्मान्या तहसील श्योपुरकलां
जिला मुरैना

2- मध्य प्रदेश शासन ------- अनावेदकगण

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकलां व्दारा प्रकरण क्रमांक 12192-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-8-98 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 816 में से क्षेत्रफल 6 बीघा स्थित ग्राम गल्मान्या मध्य प्रदेश शासन की भूमि है जिस पर आवेदक का निरन्तर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है । आवेदक भूमिहीन हरिजन है, उसे शासकीय भूमि प्राप्त करने की पात्रता है ।

(3) यह कि अनावेदक एक सम्पन्न परिवार का व्यक्ति है । अनावेदक ने तथ्यों को छिपाकर तथा राजस्व कर्मचारियों से षडयंत्र करके उक्त विवादित भूमि का पट्टा अपने नाम से करा लिया था । आवेदक व्दारा इसकी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2159–पांच/98 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर कलां द्वाराप्रकरण कमांक 12/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 4–8–98 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयसीमा बाहर मानते हुए निरस्त किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि अनावेदक के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया था जिसके विरूद्ध कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए व्यवस्था निरस्त किया । कलेक्टर के आदेश को छिपाते हुए अनावेदक ने पुनः व्यवस्थापन करा लिया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्य को अनदेखा कर विलंब को अवधि के बिंदु पर निरस्त करने में त्रुटि की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है । 3/ अनावेदक कमांक 1 एकपक्षीय है । 4/ अनावेदक कमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ आवेदक एवं अनाावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि	

R 2159-पार्ट/98 (पुराना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक को पट्टा प्रदान किए जाने की जानकारी प्रारंभ से रही है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है जबकि विलंब के संबंध में दिन प्रति दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं दिया गया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश किए जाने के कारणों को नहीं दर्शाया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	